न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–411/13 (आरसीएमएस नं. 2013/00016)

01. मंदिरमर्ति श्री श्यामजी विराजमान खाटूश्यामजी जरिये श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष श्री मोहनसिह जी चौहान पुत्र स्व. श्री पाबूदानसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर

––अपीलान्ट

बनाम

01. मूलचन्द पुत्र श्री कानाराम, जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
02. हरफूल पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
03. भगवान सहायक पुत्र श्री नारायणलाल, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
04. शिवलाल पुत्र श्री लक्ष्मणप्रसाद मण्डीवाल, निवासी बधाल, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
05. राजेश कुमार पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
06. बलदेव पुत्र श्री भूराराम जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
07. रामदेव पुत्र श्री छोटूराज जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
08. भींवाराम पुत्र श्री सुवालाल, जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
09. शिवचन्द पुत्र श्री सुवालाल जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
10. सांवरमल पुत्र श्री हरदेव, जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
11. मुरलीधर पुत्र श्री नाथूराम जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
12. झाबरमल पुत्र श्री नारायणलाल जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
13. गोविन्दराम पुत्र श्री गुल्लाराम जाति जाट, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
14. कमल कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सहाय, जाति सोनी, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
15. मनोज कुमार पुत्र श्री रामकिशोर, जाति कुमावत, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
16. भींवाराम पुत्र श्री मालीराम जाति जाट, निवासी बधाल, तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
17. दिलीप सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

18. दीकंवर पत्नी श्री गोवर्धन सिंह जाति राजपूत, निवासी बधाल तहसील फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.06.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ जयपुर के आदेश दिनांक 22.03.2013 (प्रकरण संख्या 32/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट भूमि का खातेदार था व अपीलान्ट जो कि शास्वत नाबालिंग है एवं उसकी एकपक्षीय कार्यवाही नही की जा सकती, उसकी ओर से यदि उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष पुजारी या सेवायत उपस्थित नही है तो अदालती वली नियुक्त किया जाना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचार न कर निर्णय देने में सरासर गंभीर कानूनी भूल की है, उन्होने कथन किया है कि यह निंविवाद है कि विविदग्रस्त भूमि मर्ति मंदिर की है व मर्तिमंदिर के अधिकार समाप्त नही हो सकते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचार न कर निर्णय देने मे भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है व अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.08.13 को तहसीलदार का दिनांक 26.08.13 को पेशी का नोटिस मिलने पर हुई इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 23.08.13 को अधीनस्थ न्यायालय को नकल का आवेदन पत्र दिया जो उसी दिन उसे प्राप्त हो गयी, अपीलान्ट ने अपने अभिभाषक को तहीलदार से प्राप्त नोटिस दिया व समस्त जानकारी कर बताने का कहा, अपीलान्ट के अभिभाषक ने तहसीलदार की फाईल देखकर दिनांक 15.10.13 को बताया कि पेशी दिनांक 18.10.13 है व आप आकर मिले इससे जवाब देने है, अपीलान्ट ने अपने सेवागीर को तहसील कार्यालय भेजा व अभिभाषक से सम्पूर्ण बात करने का कहा, अपीलान्ट के सेवागीर ने दिनांक 18.10.13 को समस्त पत्रावली लेकर जयपुर अभिभषक को दिखाने व जवाब तैयार करवाने को लेकर आया तो उन्होने अपीलान्ट को दिनांक 23.10.13 को बुलाया व उन्होने दिनांक 23.10.13 को निर्णय आदि को देखकर अपील करने की सलाह दी, अपीलान्ट को तहसीलदार के यहॉ कार्यवाही करने वाले अभिभाषक ने कोई सलाह अपील की नही दी व अपीलान्ट कानून से अनभिज्ञ है ऐसी स्थिति में सलाह मिलते ही अपील आदि तैयार करवाकर जानकारी की

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के व मंदिर के हितों के विपरित है, ऐसी स्थिति में विलम्ब को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.05.07 व उसके पश्चात् के परिपत्रों का गलत अर्थ लगाकर अपीलाधीन निर्णय देने ने भूल की है क्योंकि किसी भी परिपत्रों के आधार पर अधिकार तभी प्राप्त हो सकते है जबकि कानून में परिवर्तन हो, धारा 46 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 में प्रभाव में आया जबकि सम्वत् 2015 जो करीब सन् 1958 पड़ता है ऐसी स्थिति में 2015 में देय खातेदारी सरासर अधिकार क्षेत्र के विपरित था लेकिन जिस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 के कमेटी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिह जी का स्वर्गवास दिनांक 21.07.11 को हो गया था ऐसी स्थिति में आदेश अधीनस्थ न्यायालय मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि राजेन्द्र सिंह को कैंसर की गंभीर बीमारी थी व अपने ईलाज के सिलसिले में मुंबई दिल्ली व जयुपर ही करीब 7–8 माह तक रहे एवं मई 2011 से तो जयपुर में ही ईलाज लिया, ऐसी स्थित में उन पर तामील का प्रश्ना ही उत्पन्न नही होता, मूर्तिमंदिर हेतु जो स्पष्ट प्रावधान 2005 अर.आर.डी.में किया गया है कि जानकारी में आने पर मंदिर के हितो की सरक्षा की जावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचार न कर निर्णय देने में भूल की है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार हो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.13 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम बधाल तहसील फुलेरा में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 851, 852, 853 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीधा 3 बिस्वा की खातेदारी जीवराज सिंह वल्द विशाल सिह कौम राजपूत साकिन देह मुदत 5 साल सम्वत् 2015 लगायत 2029 की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) में दर्ज चला आ रहा है, वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी में कभी नही रही है बल्कि उनका इन्द्राज योक्ता (जागीरदार) के कॉलम में दर्ज रहा है अर्थात जीवराज सिंह सम्वत् 2010 से ही बहैसियत खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, भूमि कभी भी अपीलान्ट के खुदकाश्त नही रही है। उन्होने आगे कथन किया है कि जीवराज सिंह की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नाम उसके पुत्र भंवरसिह का दर्ज हो गया और भंवरसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट को बेचान कर दी जिसका राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज जरिये विभिन्न नामान्तरकरण हो चुका है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार ने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट को न तो कोई नोटिस दिया, न ही सूचना दी और रेस्पोडेन्ट के नाम का इन्दाज राजस्व रिकार्ड से हटाते हुये देवस्थान विभाग की किसी विज्ञप्ति का हवाला देते हुए नामान्तरकरण संख्या 1737 दिनांक 07.07.2004 को खोलने का आदेश दिया है वह सर्वथा अवैधानिक है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 853 के रेस्पोडेन्ट खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो नामान्तरकरण संख्या 1737 के कॉलम संख्या 7 में भी रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ने रेस्पोडेन्ट को नोटिस दिये बिना ही जो एकतरफा में आज्ञा पारित की है, सरासर अवैधानिक है एवं न्याय की सामान्य प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय थी। उन्होने कथन किया है कि राज्य सरकार का कोई आदेश भी नही है कि खातेदारान का नाम विलोपित कर दिया जावें जबकि अपीलान्ट न तो भूमि के कभी खातेदार रहे है, न ही वादग्रस्त भूमि उनके खुदकाश्त की भूमि रही है बल्कि तहसीलदार द्वारा सारी कार्यवाही मनमाने ढंग से की गई है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आने से पूर्व से ही अर्थात सम्वत् 2012 के पूर्व से ही रेस्पोडेंन्ट के पूर्व विक्रेता भंवर सिंह व उनके पिता जीवराज सिंह का नाम बतौर खातेदार दर्ज रहा है। इसलिये भी देवस्थान विभाग के आदेश खातेदारों के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करने के लिये काम में नही लिये जा सकते है, राजस्व मण्डल ने भी माफीमंदिर के विवादों को सही रूप से निर्धारण करने हेतु एक अधिसूचना दिनांक 06.04.2010 को जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से जो खातेदारी अधिकार मिल चुके है उन अधिकारों व उनके स्थानापन्न अधिकार धारियों को समाप्त नही किया जा सकता है लेकिन तहसीलदार ने मनमाने ढंग से निर्णय देने में सरासर गलती की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि देवस्थान विभाग की जो विज्ञप्ति है व निजी खातेदारों की भूमि के लिये लागू नही होती है बल्कि देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आये मंदिरों के किये ही विज्ञप्ति थी जिसको सही रूप से न समझकर तहसीलदार ने गलती की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2013 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 1737 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसका तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा रेस्पोडेन्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2013 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2013 को यथावत रखा जाता है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2013 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जिसकी अनुपालना में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पक्षकारान की सुनवाई की जाकर प्रकरण में कार्यवाही की जानी अभी बाकी है, ऐसी स्थिति में प्रकरकण में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादग्रस्त आराजी के बेचान, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि पर भी पाबन्दी लगाई जाती है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।